

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

(223/1, सिविल लाइन, मेरठ-250001)

पत्रांक- 2636 /14-1, दिनांक, मेरठ, 03 जनवरी 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- जनपद मेरठ में Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH-58 km chainage 90.290 to 85.800, total length 0.4490 km total length hectare 0.2245 hac. संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य से सम्बन्धित। प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/OTHERS/146071/2021.**

संदर्भ:- 1-उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, का पत्रांक पी0-309/ 81-2-2022 -800(323)/2022 दिनांक 26.09.2022।

2-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ का पत्रांक-3020/14-1, दिनांक 31.12.2022।

महोदय,

विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के पत्र दिनांक 26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ ने संदर्भित पत्र दिनांक-31.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में संलग्न कर निम्न प्रकार प्रेषित है-

S.No.	Stipulated Condition	COMPLIANCE
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through- e-portal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि 2,15,022.00/-रुपए मात्र का भुगतान ई-चालान के माध्यम से कैपा फंड में जमा करा दिया गया है। Paid चालान की प्रति संलग्न है।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned district Collector.	जिलाधिकारी मेरठ द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if Applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
6	No labour camps shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal Source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।

8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE& CC Guideline F.No-11-42/2017-FC dated-29/01/2018	प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh.nic. in/).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
13	पाईप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक-07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।

22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफ0सी0 (पीटी) दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II (I) दिनांक-02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू हो तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैण्डिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफ0सी0 दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (Shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
27	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
29	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा, तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।

31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 -एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक-06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयकप्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि 2,15,022.00/-रुपए मात्र का भुगतान ई-चालान के माध्यम से कैंपा फंड में जमा करा दिया गया है। Paid चालान की प्रति संलग्न है।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
33	प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी की रिपोर्ट / संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

जमा की गयी धनराशि का विवरण

NPV amount deposited	Rs. . 2,15,022.00/-
CA amount deposited	Nil
Total Amount deposited	Rs. 2,15,022.00/-
Any other amont depositer (Complete details be)	-
CAMPA confirmation	Yes, (Paid चालान की छाया प्रति संलग्न है।)

संलग्नक:-उक्तानुसार

शुवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

संख्या / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-31.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
पत्रांक 3020 /14-1, मेरठ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2022.

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।

क्षेत्रीय संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ
रजिस्टर नं० 3243
14-1(CJ)
फाईल नं० 03/01/23
दिनांक

विषय— जनपद मेरठ में Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH-58 km chainage 90.290 to 85.800, total length 0.4490 km total length hectare 0.2245 ha संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य से सम्बन्धित।
प्रस्ताव संख्या— FP/UP/OTHERS/146071/2021.

संदर्भ— 1— उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, का पत्रांक पी0-309/81-2-2022 -800(323)/2022 दिनांक 26.09.2022
2— मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, नई दिल्ली का पत्रांक—IGL/PNG/Meerut/337, दिनांक—20.12.2022.

महोदय,

विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, के पत्र दिनांक 26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, नई दिल्ली, के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक—20.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जिसके अनुसार अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में संलग्न कर निम्नप्रकार प्रेषित है—

SL	Stipulated Condition	COMPLIANCE
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through- e-portel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि 2,15,022.00/-रुपए मात्र का भुगतान ई-चालान के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा करा दिया गया है। Paid चालान की प्रति संलग्न है।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned district Collector.	जिलाधिकारी मेरठ द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if Applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government .	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
6	No labour camps shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal Source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
10	Violation of any of these conditions will amut to violation of Forest	प्रमाण पत्र संलग्न है।

DMC 57
31/12/2022

	(Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE& CC Guideline F.No-11-42/2017-FC dated-29/01/2018	
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
13	पाइप लाइन / टेलीफोन लाइन/ मार्गों / सड़कों / वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक-07.01.2011(प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफ0सी0 (पीटी) दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II (I) दिनांक-02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू हो तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैण्डिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।

24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/ नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफ0सी0 दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/ मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (Shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
27	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
29	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा, तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न है।
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 -एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक-06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयकप्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि 2,15,022.00/-रुपए मात्र का भुगतान ई-चालान के माध्यम से कैपा फंड में जमा करा दिया गया है। Paid चालान की प्रति संलग्न है।

	जायेगी।	
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
33	प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी की रिपोर्ट / संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

जमा की गयी धनराशि का विवरण

NPV amount deposited	Rs. . 2,15,022.00/-
CA amount deposited	Nil
Total Amount deposited	Rs. 2,15,022.00/-
Any other amont depositer (Complete details be)	-
CAMPA confirmation	Yes, (Paid चालान की छाया प्रति संलग्न है।)

संलग्नक:-उक्तानुसार

भवदीय

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्या / दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. डी०जी०एम०,मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०,नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संलग्नक संख्या-1

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी0-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-1

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव में हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी / मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली इस हेतु वचनबद्ध है।

ds



(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
20/12/2022

(रचिन कंसल)

डी0जी0एम0, मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-2

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/ 2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-2

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सापेक्ष संरक्षित भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की वांछित धनराशि रुपये-215022.00 (रुपये दो: लाख पन्द्रह हजार वाईस मात्र) (भारत सरकार के निर्देश दिनांक-06.01.2022 के अनुसार) को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा करा दिया गया है। जिसकी ई-रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

CS
✓
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामयिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-10-2022

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Application No.	199146071354
MoEF/SG File No.	P-309/81-2-2022-800(323)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	IGL BHAVAN PLOT NUMBER 4 COMMUNITY CENTRE RK PURAM SECTOR 9 NEW DELHISouth West
Amount(in Rs)	215022/-

Amount in Words :Two Lakh Fifteen Thousand and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15090199146071354 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-10-2022

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Application No.	199146071354
MoEF/SG File No.	P-309/81-2-2022-800(323)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	IGL BHAVAN PLOT NUMBER 4 COMMUNITY CENTRE RK PURAM SECTOR 9 NEW DELHI South West
Amount(in Rs)	215022/-

Amount in Words :Two Lakh Fifteen Thousand and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15090199146071354 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No = 320 221 20600 56 85 36

Date = 06/12/2022

C/S

Rachin Kansal
20/12/2022
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Sr. No.	Proposal Detail	Application_No	Applied (New)	Payable P/L	Amount to be Paid/Amount Payment Status	Payment Detail	Dem
1	PP/UP/Other/146071/2021 (New report card?) pp=PP/UP/Other/146071/2021) Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Path Road, NH- 58 km. chailage 90.290 to 85.800, total length 4.490 km. total length hectare 0.2245 ha in roads	OTHERS1460712021354	(19914607135426 Sep 2022	CAU 0/- PCA 0/- Safety 0/- Zone 0/- NPV 21502/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 21502/-	CAU 0/- PCA 0/- Safety 0/- Zone 0/- NPV 21502/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 21502/-	Fund Demand Verified by :17 Oct 2022 Mode of Payment : Union Bank Of India Challan : NEFT/RTGS (Challan) Generated :17 Oct 2022 On Transaction : 07 Dec 2022 Date : 2022	Demand Letter (./\ntercedata\Fundpdf\14102022202100434_PPUPOther1460712021_Use_Fund_Demanded_JGPH1.pdf) Generated Challan (./\ntercedata\Fundpdf\14102022202100434_PPUPOther1460712021_Use_Fund_Demanded_JGPH1.pdf)
2	PP/UP/Proposed/154062/2022 (New report card?) pp=PP/UP/Proposed/154062/2022) Laying of 8" CS and 125mm HDPE gas pipe line at, Bhoga Road Transport Nagar to Jafetha PWD Ch. Km. 79.400 to Km. 85.900 (Length 6.500 Km) and Jafetha Flyover to Pender Dharam kanta Shikha NH 709 AD Ch. Km. 97.450 to Km. 104.450 (Length 7.000 Km) total length Km. 13.500 and total 11.6750 ha in Muzaffarnagar U.P.	PIPELINE1540622022088711540622088	13 Jul 2022	CAU 0/- PCA 0/- Safety 0/- Zone 0/- NPV 646502/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 646502/-	CAU 0/- PCA 0/- Safety 0/- Zone 0/- NPV 646502/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 646502/-	Fund Demand Verified by : 25 Jul 2022 Mode of Payment : Union Bank Of India Challan : NEFT/RTGS (Challan) Generated : 29 Jul 2022 On Transaction : 10 Aug 2022 Date : 2022	Demand Letter (./\ntercedata\Fundpdf\75072022124140951_PPUPOther1540622022_Use_Fund_Demanded_J7185.pdf) Generated Challan (./\ntercedata\Fundpdf\75072022124140951_PPUPOther1540622022_Use_Fund_Demanded_J7185.pdf)
3	PP/UP/Other/146070/2021 (New report card?) pp=PP/UP/Other/146070/2021) Laying of 8" & 4 dia natural gas pipe line at various roads, Thana Ghawan to Aziz Petrol Pump, NH-709B old km. chailage 118.345 to 119.645, NH-709AD old km. chailage 38.000 to 43.000 and Vijay Talaj to Carries Wheels NH-709AD old chailage km. 37.200 to 31.700 hectare 0.6050 in local forestry division Shanti	OTHERS1460702021353	19914607035328 Mar 2022	CAU 0/- PCA 0/- Safety 0/- Zone 0/- NPV 579457/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 579457/-	CAU 0/- PCA 0/- Safety 0/- Zone 0/- NPV 579457/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 579457/-	Fund Demand Verified by : 08 Apr 2022 Mode of Payment : Union Bank Of India Challan : NEFT/RTGS (Challan) Generated : 08 Apr 2022 On Transaction : 20 Apr 2022 Date : 2022	Demand Letter (./\ntercedata\Fundpdf\07042022175523118_PPUPOther1460702021_Use_Fund_Demanded_J3113.pdf) Generated Challan (./\ntercedata\Fundpdf\07042022175523118_PPUPOther1460702021_Use_Fund_Demanded_J3113.pdf)

(राजेश कुमार)
प्रनागीय निदेशक
सानाजिक वानिकी प्र.
मेरठ

20/12/2022
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-3

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-3

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा प्रदत्त एफ०आर०ए० 2006 (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों) की मान्यता अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaaffarnagar

+++

(for plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector -Meerut

No. 15007 Dated 21/12/2022

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016) It is

certified 0.2245 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Indraprastha Gas Limited, New Delhi for Construction of Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH-S8 km chainage 90.290 to 85.800, total length 0.4490 km total length hectare 0.2245 ha, District-Meerut falls within the jurisdiction of Meerut District village Dadri and Bhaingi Tehsil- Sardhana having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- (a) The Protected Forest (s) namely Meerut-D.M.R Road (Chainage 90.290 to 85.800) involved in the above villages are plantation raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) – 1115/XIV-331-50, Dated 10.02.1960
- (b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

(Rajesh Kumar)
Divisional Director
Social Forestry Division
Meerut.

(Deepak Meena)
District Magistrate
Meerut.
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

Rachin Kansal
20/12/2022
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-4

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-4

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रमाण पत्र की आवश्यकता /अपेक्षित नहीं है।

CP

(राजेश कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सांख्यिक वानिकी प्रभाग,

मेरठ

Rachin Kansal 26/12/2022
(रचिन कंसल)

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL

D.G.M.

I.G.L. Muzaffarnagar

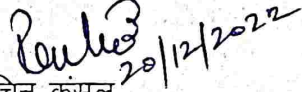
जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-5

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति बिना ले-आऊट का परिवर्तन नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी / मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० वचनबद्ध है।


(रचिन कंसल)
डी०जी०एम०
इन्द्रप्रस्थ गैस लि०,
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
(राजेश कुमार)
मेरठ
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

संलग्नक संख्या-6

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-6

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में इस आशय की वचबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि पर या उसके निकट अन्य वन भूमि पर कोई लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

C/S
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
29/12/2022
(रचिन कंसल)
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-7

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-7

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों के प्रयोगार्थ वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था की जायेगी एवं फॉयर वुड की आवश्यकता होने पर उसे नियमानुसार वन विभाग अथवा वन निगम से क्रय किया जायेगा।

45
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
26/9/2022
(रचिन कंसल)
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-8

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-8

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना अवधि या लीज अवधि जो भी कम हो उस अवधि तक ही आलोच्य भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी /इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली के अधिकार में बनी रहेगी।

c/s
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी0-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-9

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हस्तान्तरित संरक्षित वन भूमि बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/विभाग या एजेंसी को हस्तान्तरित (ट्रांसफर) नहीं की जायेगी।

c/s

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin
(रचिन कंसल) 29/12/2022

डी0जी0एम0, मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

Full title of the Project : " Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH-58 Km chainage 90.290 to 85.800, total length hectare 0.2245 ha in socia"

Proposal No. : FP/UP/Others/146071/2021

Diversion Area : 0.2245 Ha.

CERTIFICATE FOR NO VOILATION OF FCA (1980)

उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 की पत्र संख्या - पी-309/81-2-2022-800(323)/2022, दिनांक 26.09.2022 की शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है न ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

संलग्नक संख्या-10ए

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-10

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण / मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं जायगा।

cf

(राजेश कुमार)

प्रभागीय निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल) 20/12/2022

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-11

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में वचनबद्धता दी जाती है कि यदि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास, संरक्षण हेतु कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो लगाई गयी नई शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी / इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा वचनबद्धता दी जाती है।

cls

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल) 20/12/2022

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaiffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-12

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaiffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक- 26.07.2022 की अनुपालन आख्या नियमानुसार परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

CS

(र जेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaiffarnagar

संलग्नक संख्या-13

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-13

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य सरफेस राईट में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे कराये जायेंगे।

c/s

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin

(रचिन कंसल)

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-14

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी0-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-14

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भूमिगत गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रन्च की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा वचनबद्धता दी जाती है।

ds
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin
(रचिन कंसल)
डी0जी0एम0, मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-15

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-15

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य हेतु खोदी गयी ट्रेंच को मिट्टी से कॉम्पैक्ट कर दिया जायेगा ताकि भू-क्षरण की सम्भावना कम हो, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।

ef
(र. जैश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-16

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव ।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-16

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व वन विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है ।

c/s
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-17

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-17

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति (यदि क्षति होती है तो)के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।

C/S



(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल) 20/12/2022

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-18

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में अनुरक्षण कार्य करने से पूर्व वन विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।

cls

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

20/12/2022

(रचिन कंसल)

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-19

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-19

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में वन भूमि के सरफेस राईट यथावत् रहेगें, अर्थात् वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।

eps

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

(रचिन कंसल)
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

संलग्नक संख्या-20

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव ।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-20

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक-07.01.2011 में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित पाईपलाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन के क्रम में जनपद गाजियाबाद में वृक्षारोपण किया गया है जिसकी प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है, इस हेतु मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली वचनबद्ध है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

cl/s

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal

(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL, BPCL & Govt. of NCT Delhi)

IGL/ PNG/ STEEL/

Date-20.12.2022

To

Divisional Forest Officer
Forest Department
Meerut .

Sub:- जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

Dear Sir,

With reference to above mentioned subject and cited letter we would like to inform you that we are in process of developing the city Gas distribution infrastructure in Muzaffarnagar, Shamli and Meerut as per allotment given to us by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.

We want to inform you that according the forest condition mentioned in point No. 20, IGL have already paid the charges of Rs. 93,60,000.00 for plantation of three rows of trees in twenty Kilometer and administrative cost@ 4% for planting the trees.

Kindly provide us the permission in order to commence this environmental importance work and we assure our best cooperation all time.

Thanking You

Regard

Rachin Kansal
20/12/2022

RACHIN KANSAL

D.G.M.

I.G.L M Zafarnagar

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, Sector-9, R.K. Puram, New Delhi-110 022

Tel. : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001 : 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 45001 : 2018 Certified Organisation

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1776

Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1
(Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghaziipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of Rs.93,60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only).

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July-2010 of Rs.3,60,000/- against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/-

Rachin Kansal
20/12/2022
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद
पत्रांक : ७५ / २२-७ दिनांक गाजियाबाद ३ जुलाई, २०१०

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई०सी०एल० भवन,
प्लॉट नं०-४, आर०को० पुरम,
रोड नं०-९, नई दिल्ली।

विषय: गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महागाया स्टेशन तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु ०.८७२ हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-जी०आई०-१९६/१४-२-२०१०-१०१७/१० दिनांक ०२.०७.२०१०

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनदेश जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के विन्दु सं०-१५ के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर २० कि०मी० ३ लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में २० कि०मी० ३ लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	विवरण	दर प्रति कि०मी०	बांछित धनराशि
१	२० कि०मी० ३ लाइनों में वृक्षारोपण	रु० ४,५०,०००/-	रु० ९०,००,०००/-
२	प्रशासनिक व्यय	४ प्रादेशत	रु० ३,६०,०००/-
कुल योग :-			रु० ९३,६०,०००/-

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, गाजियाबाद
पत्रांक : 695/14-1 दिनांक, गाजियाबाद 27 अगस्त, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक यानिकी, गेरठ गुल्म,
भरत।

विषय: जनपद गाजियाबाद में आई0जी0एल0 द्वारा एस0एच0-57 कि0मी0 10.800 से 25.200 तक बांयी पटरी तथा अपर गंगा कैनाल गील 101 जो कि एन0एच0-58 कि0मी0 34.300 से 34.500 तक के मध्य क्रॉस करती है एवं पूर्वी यमुना नहर कि0मी0 12.520 से 12.580 तक बांयी पटरी में 8" गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.432 हेक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र का गैर यानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-पी-8/14-2-2017-800(18)/2017, दिनांक 30.06.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 489/14-1 दिनांक 11-8-2017 एवं ऑनलाइन समीशन एण्ड मोनिटरिंग इन्चार्जमेंटल फारेस्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस-ए सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा उठाई गई आपत्ति दिनांक 16-8-2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	शर्त सं0-1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्यचित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्यचित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2	शर्त सं0-2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन/ मार्गों/ सड़कों/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही विछाये जायेंगे, का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन/ मार्गों/ सड़कों/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही विछाये जायेंगे, का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
3	शर्त सं0-3 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गई ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मी0 और चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक न होगी, का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गई ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मी0 और चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक न होगी, का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
4	शर्त सं0-4 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा खोदी गई ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा खोदी गई ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
5	शर्त सं0-5 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी, का सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
6	शर्त सं0-6 के अनुसार वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
7	शर्त सं0-7 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली गयी है, का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
8	शर्त सं0-8 के अनुसार भूमि का सर्फेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	भूमि का सर्फेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

	माननीय उच्च न्यायालय के रिट विभाग (सिविल)-202/1995 के अन्तर्गत आईओए संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफओसी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी०), क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अन्य अनुगम्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवर्तन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट विभाग (सिविल)-202/1995 के अन्तर्गत आईओए संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफओसी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी०) धनराशि ₹ 2,70,432/- RTOF No-INDBR22017082400878367, दिनांक 24.08.2017 द्वारा गणवेशन बैग लि०, नई दिल्ली को जमा की गई (प्रति संलग्न है)। ऑन लाइन रायगिशन एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनेन्टल फॉरेस्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस रिवरटिंग से उत्पन्न धनराशि जमा होने की पुष्टि संलग्न है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने का निर्देश शासनादेश में नहीं है।
10	शर्त सं०-10 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि०मी० 3 लाइन में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शासनादेश सं०-जी०आई०-186/14-2-2010-1017/10, दिनांक 02.07.2010 गौहन नगर चौराहे से महामाया स्टेडियम तक एवं डाउन पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डाले जाने हेतु 0.872 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर यानिकी प्रयोग की अनुमति के बिन्दु सं०-15 के क्रम में तत्कालीन प्रगामीय निदेशक, अगुमति के बिन्दु सं०-74/22-1, दिनांक 03.07.2010 द्वारा 20 गाजियाबाद की पत्र सं०-74/22-1, दिनांक 03.07.2010 द्वारा 20 कि०मी० 3 लाइन में वृक्षारोपण हेतु ₹ 93,60,000/- के धनराशि की मांग की गई। उक्त धनराशि इन्द्रप्रस्थ गैस लि० की पत्र सं०-आई०जी०एल०/ पी०एन०जी०/ स्टील/ फॉरेस्ट /1776, दिनांक 07.07.2010 द्वारा डी०डी० सं०-017022, दिनांक 07.07.2010 से ₹ 90,00,000/- एवं डी०डी० सं०-017024, दिनांक 07.07.2010 से ₹ 3,60,000/- की धनराशि इस वन प्रभाग में जमा कराई गई है। उक्त पत्रों की प्रति संलग्न है।
11	शर्त सं०-11 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्राप्त करने की याचक विभाग की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12	शर्त सं०-12 के अनुसार प्रयोक्त अभिकरण के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो संलग्न करना होगा।	प्रयोक्त अभिकरण के द्वारा वैध व अधिकृत लाइसेंस तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
13	शर्त सं०-13 के अनुसार भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007, एफओसी० (पी०टी०), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र सं०-11013/41/2006-1 ए-11(1), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से रेटेंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजना होगा।	उक्त शर्त लागू नहीं है।
14	शर्त सं०-14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

15	शर्त सं०-15 के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्रांक-11-9/90-एम्पडीओ, दिनांक 08.07.2011 में दिशे गये दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के सामाजिक-प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रेषित गये गैर-सम्पत्ति विपरीत डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो संतुष्ट करना होगा।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्रांक-11-9/90-एम्पडीओ, दिनांक 08.07.2011 में दिशे गये दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के सामाजिक-प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रेषित गये गैर-सम्पत्ति विपरीत डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें।
16	शर्त सं०-16 के अनुसार यदि प्रस्तावित भूमि सेन्सुसरी/नैसर्गिक पार्क में शामिल है तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गई है।	प्रस्तावित भूमि सेन्सुसरी/नैसर्गिक पार्क में शामिल नहीं है।
17	शर्त सं०-17 के अनुसार समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, यह दस्तावेज प्रस्तुत करना है।
18	शर्त सं०-18 के अनुसार परियोजना में की भूमिगत एम्पडीओपीओईओ गैस पाइप लाइन विणया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एनओपीओईओ का भुगतान किया जायेगा।	प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये निर्देश (सिविल)-202/1975 के अन्तर्गत कार्यवाही के तहत सरकार के पत्र सं०-5-3/2011-एम्पडीओ, दिनांक 15.07.2009 के तहत नें दिये गये आदेशानुसार युद्ध काल में (सुरक्षा) हेतु आवश्यक घनत्व का 270.42/- RTGS No-INDBR22017082400378367, दिनांक 24.02.2011 द्वारा कागज़ीरान बैंक लि०, नई दिल्ली को जमा की गई है। ऑन लाइन सर्वेक्षण एवं नैसर्गिक क्षेत्र एवं वाइल्ड लाइफ वनीयन्त विल्लेज से उत्पन्न कालेज जंगल की पुष्टि संलग्न है।
19	शर्त सं०-19 के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, का दस्तावेज प्रस्तुत करना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

नवदीप

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
राजियाबाद

पत्रांक : 695 / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के रूप में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
राजियाबाद

Recd by
Smt. P. K. Singh
23-08-2017

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-21

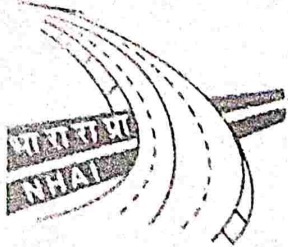
जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना निदेशक, मेरठ से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है। (प्रति संलग्नक) इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

c/s

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

(Ministry of Road Transport & Highways)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई-मेरठ

Project Implementation Unit, Meerut

ए-1, वैष्णो धाम निकट गावली हाईवे, कानकपुरा एनएच-58 मेरठ-250001

A-1, Vaishno Dham, Near Gayath Highis, Kanakpura N.H. 58, Meerut 250001

टेलीफोन / Telephone 0121 2631228

ई-मेल / E-mail : meerut@nhai.org



भारतमाला

प्रगति के पथ पर अग्रसर

BHARATMALA

ROAD TO PROSPERITY

NHAI/PIU-MRT/11041/2021/D- 22400

Date: 04.08.2021

To,

Shri Ajai Tyagi, Vice President,
M/s INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Regd. office at- "IGL Bhawan, Plot No. 4,
Community Centre, R.K. Puram,
Sector-9, New Delhi-110022"

Subject: Request for the Permission for laying of underground gas pipeline of 12" Dia Steel Pipe and 125mm Dia MDPE Pipe of M/s Indraprastha Gas Limited, from Ch. 79.100(RHS) to Ch. 92.300(RHS) across the National Highways at 03 number of locatins. The total section length from ROW applied in 13.020 Km on along National Highways (Delhi Muzaffarnagar Road), NH- 58 (New NH-334), in the State of Uttar Pradesh.

Reference: Regional Office(West-UP), Lucknow Letter No. 19001/1/RO-W-UP/NH-58/12"Dia-UG/79.100-92.300/823 dated 26.07.2021

Sir,

The approval of the Competent Authority is hereby conveyed for laying of underground gas pipeline 12" Dia Steel Pipe and 125mm Dia MDPE Pipe of M/s Indraprastha Gas Limited, from Ch. 79.100(RHS) to Ch. 92.300(RHS) across the National Highways at 03 number of locatins. The total section length from ROW applied in 13.020 Km on along National Highways (Delhi Muzaffarnagar Road), NH- 58 (New NH-334), in the State of Uttar Pradesh, subject to the following conditions:

- The crossing/laying will be done as per the proposed/ agreed location route and as per proposed layoutplan.
- The Licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executingthe work.
- Appropriate fees be levied for use of NH land for laying of Utilities as per Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S6R(R) dated 22.11.2016.
- Undertaking to the following effect may be taken from the applicant and made part of the agreement: -
 - Three copies of "As Laid Drawings" of utilities (Hard and Soft copies) shall be submitted to Highway Authorities for verifications and record within a month of completion of works.
 - The permission may be terminated immediately on violation of the agreed terms & conditions.
 - The execution of the proposal by the Applicant would not hinder the future widening, if any, at the particular location and if required then the applicant would ensure shifting of their utility at their own cost without any liability to NHAI in a time bound manner prescribed by NHAI.
 - Ensure that the submitted Agreement is in prescribed format as per Ministry circular No. Circular No. RW/ NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016 for execution with the applicant and BG be obtained as per the Circular.
 - Work programmed from the Applicant may be obtained and ensure timely completion.

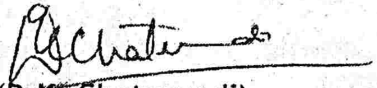
[Signature]

[Signature]
20/12/2022
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

- (f) The compliance of various undertakings given by the Applicant may be ensured before and after signing of License Agreement, as the case may be in the interest of NHAI and safety of road users.
- (v) Laying /crossing work should be carried out through HDD method only.
- (vi) It shall be the responsibility of the Applicant to ensure the Safety and maneuverability of Highway Traffic during laying of Gas Pipeline.
- (vii) The approval is based on the submissions made by the Applicant. The Applicant is responsible for the details provided in the application. The NHAI is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the applicant.
- (viii) In view of any future development requiring necessary alteration, including complete removal, or shifting of the Gas Pipeline, the same shall be carried out by the Applicant at its own cost to the satisfaction of the Highway Administrator.
- (ix) In case of violation of the norms of Ministry's Guidelines, the NOC automatically stand withdrawn.
- (x) IRC: 98-2011 be complied wherever applicable.

This issues with the approval of RO-UP (West), Lucknow.

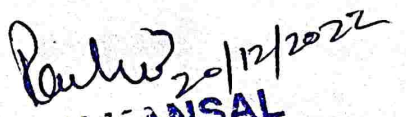
Enclosed: Copy of License agreement


(D.K. Chaturvedi)

GM (Tech.) / Project Director

Copy to:

1. Authorized Signatory, M/s Western UP Tollway Ltd., Meerut - for information.
2. Authorized Signatory, M/s Krishna Construction, Meerut -for information.


RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-22

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में कार्य करने हेतु वैध/ अधिकृत लाईसेंस प्रयोक्ता अभिकरण/ मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली के पास उपलब्ध है एवं इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

CB

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल)

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-23

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षेत्र प्रस्तावित क्षेत्र वन्य जीव विहार होने के कारण पर्यावरण अनापत्ति / अनुमोदन तथा वन्य जीवों की दृष्टि से स्टैण्डिंग केमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता/अपेक्षित नहीं है।

ef5
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल)
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2-2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-24

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में वन्य जीव विहार / नेशनल पार्क की भूमि सम्मिलित नहीं है।


(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ


(रचिन कंसल) 26/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-25

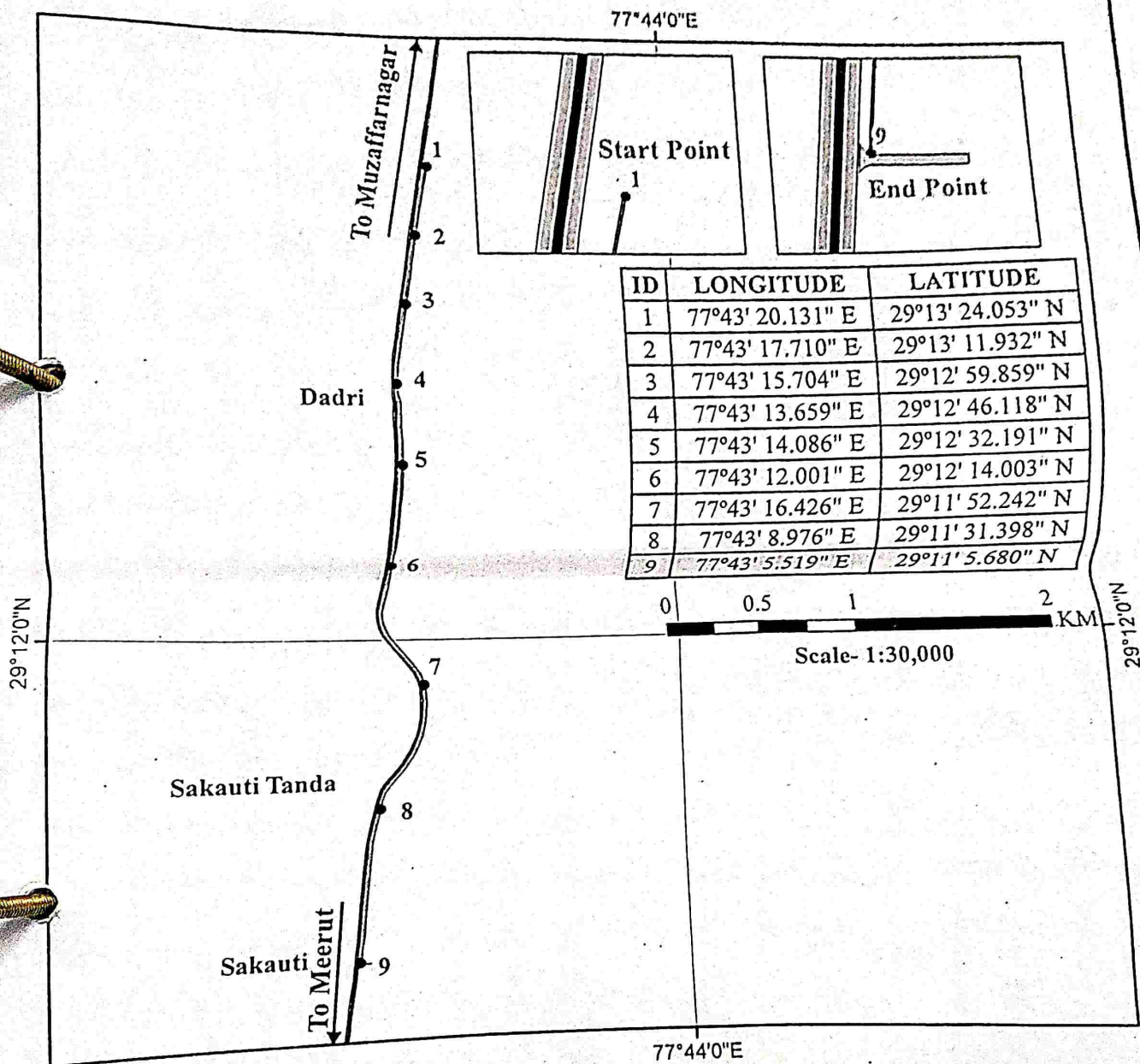
जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रस्तावित वन क्षेत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए डिजिटल मानचित्र जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा में दर्शाया गया है को अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

ds
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल)
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जियो-रेफरेंस मैप - मुजफ्फरनगर शहरी गैस वितरण परियोजना इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा 12 इंच भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइप लाईन, एन0एच0-58 के दांयी ओर, मेरठ-मुजफ्फरनगर बॉर्डर से नागली तीरथ रोड (कुल ल0-04.490 किमी0) तक बिछाने हेतु



Legend

- Earthen Shoulder
- GPS Points
- Existing Road
- Proposed Gas Pipeline
- Road Divider

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

Paul
20/12/2022
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

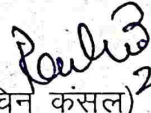
On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी0-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-26

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में भूमिगत गैस पाईपलाईन डाला जाना प्रस्तावित है एवं ट्रेंच खुदाई के उपरान्त, कार्य समाप्ति के बाद मिट्टी को पुनः ट्रेंच में भर दिया जायेगा, उक्त प्रक्रिया में कोई मक जनरेट नहीं होगा। इस आशय की वचनबद्धता मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली वचनबद्ध है।


(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
संसाधन वानिकी प्रभाग,
मेरठ


(रचिन कंसल)
डी0जी0एम0, मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

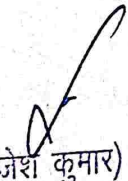
जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

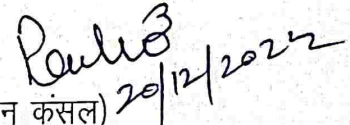
On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-27

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव में अनुपालन आख्या का बिन्दु नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश के स्तर से अपेक्षित एवं इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-26.07.2022 की समस्त अनुपालन आख्याएँ निमानुसार नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के को प्रेषित की जायेगी।

ds

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ


(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी0-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-28

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में परियोजना स्थल के आस-पास पलोरा (वनस्पति) /फोना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय किये जायेंगे। इस आशय की वचबद्धता मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा दी जाती है।

ds

(र. जश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
(रचिन कंसल) 20/12/2022

डी0जी0एम0, मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-29

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव के प्रस्ताव में इस आशय की वचबद्धता दी जाती है की प्रस्तावित वन भूमि का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन की आवश्यकता होने पर नोडल अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

c/s

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

(रचिन कंसल) 20/12/2022
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

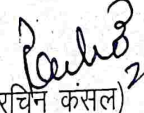
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-30

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अनुसार दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा दी जाती है।

cf

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ


(रचिन कंसल) 20/12/2022

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/ 81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या ।

शर्त संख्या-31

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण अपेक्षित नहीं है एवं प्रस्ताव में संरक्षित भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की वांछित धनराशि रुपये-215022.00 (रुपये दो: लाख पन्द्रह हजार बाईस मात्र) (भारत सरकार के निर्देश दिनांक-06.01.2022 के अनुसार) को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है। जिसकी ई-रसीद की प्रति अनुपालन आख्या के साथ संलग्न है।

e/s

निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Rachin Kansal
20/12/2022
(रचिन कंसल)

डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-10-2022

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Application No.	199146071354
MoEF/SG File No.	P-309/81-2-2022-800(323)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	IGL BHAVAN PLOT NUMBER 4 COMMUNITY CENTRE RK PURAM SECTOR 9 NEW DELHISouth West
Amount(in Rs)	215022/-

Amount in Words :Two Lakh Fifteen Thousand and Twenty-Two Rupees Only

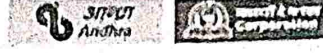
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15090199146071354 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-10-2022

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Application No.	199146071354
MoEF/SG File No.	P-309/81-2-2022-800(323)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	IGL BHAVAN PLOT NUMBER 4 COMMUNITY CENTRE RK PURAM SECTOR 9 NEW DELHI South West
Amount(in Rs)	215022/-

Amount in Words :Two Lakh Fifteen Thousand and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15090199146071354 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No = INDBR 32022120600568538

Date = 06/12/2022

95

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

20/12/2022
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar

Sno. Proposal Detail

Application No

Applicable (New)

TH- Amount to be Paid/Amount Payment Status

PR

Payment Detail

Dem

Letter

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

1. FF/UP/Other/146071/2021
View report.aspx?
id=FF/UP/Other/146071/2021
Laying of 12 dia natural gas pipe
line at various roads,
Muzaffarnagar Border to Nagli
Tirth Road, NH- 53 km. chainage
80.230 to 85.800, total length
4.490 km, total length hectare
0.2245 ha in soda

OTHERS1460712021354

19914607135426 Sep 2022

CA: 0/-, Addl CA: 0/-
PCA: 0/-, CAT: 0/-
Safety: 0/-, Addl PA: 0/-
Zone: 0/-, Other: 0/-
NPV: 21502/-, Charges: 0/-
Other: 0/-
Charges: 10/-
Other: 0/-
Charges: 20/-
Other: 0/-
Charges: 30/-
Total: 21502/-

17 Oct 2022

Union Bank
Of India
NEFT/RTGS
(Challan)
Generated : 17 Oct 2022
On
Transaction : 07 Dec
Date

17 Oct 2022

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

2. FF/UP/Other/154062/2022
View report.aspx?
id=FF/UP/Other/154062/2022
Laying of 8" CS and 125mm
HDPE gas pipe line at, Bhopa
Road Transport Nagar to Jat
Majheda PWD Ch. Km. 79.400 to
Km. 85.500 (Length 6.500 Km)
and Jansath Flyover to Pawan
Dharam Banta Sided NH 709
AD Ch. Km. 97.450 to Km.
104.450 (Length 7.000 Km) total
length Km. 13.500 and total
0.6750 ha in Muzaffarnagar, U.P.

PPELIVE154062202298872154062988

13 Jul 2022

CA: 0/-, Addl CA: 0/-
PCA: 0/-, CAT: 0/-
Safety: 0/-, Addl PA: 0/-
Zone: 0/-, Other: 0/-
NPV: 646502/-, Charges: 0/-
Other: 0/-
Charges: 10/-
Other: 0/-
Charges: 20/-
Other: 0/-
Charges: 30/-
Total: 646502/-

25 Jul 2022

Union Bank
Of India
NEFT/RTGS
(Challan)
Generated : 25 Jul 2022
On
Transaction : 10 Aug
Date

25 Jul 2022

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

3. FF/UP/Other/146070/2021
View report.aspx?
id=FF/UP/Other/146070/2021
Laying of 8" & 4 dia natural gas
pipe line at various roads, Thana
Shawan to Aziz Petrol Pump, NH-
709B old km. chainage 118.345
to 119.645, NH-709AD old km.
chainage 38.000 to 43.000 and
Vijay Taj to Carriers Wheels NH-
709LD old chainage km. 37.200
to 31.200 hectare 0.6050 in
social forestry division Shanti

OTHERS1460702021353

19914607035328 Mar 2022

CA: 0/-, Addl CA: 0/-
PCA: 0/-, CAT: 0/-
Safety: 0/-, Addl PA: 0/-
Zone: 0/-, Other: 0/-
NPV: 579457/-, Charges: 0/-
Other: 0/-
Charges: 10/-
Other: 0/-
Charges: 20/-
Other: 0/-
Charges: 30/-
Total: 579457/-

08 Apr 2022

Union Bank
Of India
NEFT/RTGS
(Challan)
Generated : 08 Apr 2022
On
Transaction : 20 Apr
Date

08 Apr 2022

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Generated Challan

Rachin Kansal
20/12/2022
RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.I. M. Zainab

(राजेश कुमार)
प्रमोदीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ

Full title of the Project : " Laying of 12 dia natural gas pipe line at various roads, Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Road, NH-58 Km chainage 90.290 to 85.800, total length hectare 0.2245 ha in socia"

Proposal No. : FP/UP/Others/146071/2021

Diversion Area : 0.2245 Ha

प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 की पत्र संख्या - पी-309/81-2-2022-800(323)/2022, दिनांक 26.09.2022 की शर्त संख्या-32 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में प्रभावित संरक्षित क्षेत्र/ प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/Others/ Pipeline/146071/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-पी०-309/81-2- 2022-800 (323)/2022 दिनांक-26.09.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-33

जनपद मेरठ में Lying of 12 dia natural gas pipeline at various roads Muzaffarnagar Border to Nagli Tirth Roads NH-58 km Chainge 90.290 to 85 .800 total length 4.490 Km. हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति 12" डाया सी०एस० एवं 125 एम०एम० एम०डी०पी०ई० भूमिगत सी०एन०जी० गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.2245 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, एवं इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आये जाने पर अधोहस्ताक्षरी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

राजेश कुमार
(राज्य निदेशक
प्रभागीय निदेशकी प्रभाग,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ)

Rachin Kansal
(रचिन कंसल)
डी०जी०एम०, मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०
नई दिल्ली

RACHIN KANSAL
D.G.M.
I.G.L. Muzaffarnagar